



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश को सुरक्षित किया गया : 07.03.2025

आदेश पारित किया गया: 08.05.2025

रिट याचिका सेवा सं. 1625/2024

ममता चौधरी पति श्री सुरेन्द्र चौधरी उम्र लगभग 59 वर्ष निवासी पुलिस लाइन घरघोड़ा जिला-रायगढ़, छ.ग.

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, शहरी प्रशासन तथा विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नया रायपुर, जिलारायपुर, छ.ग.
- 2 - उप सचिव शहरी प्रशासन तथा विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नया रायपुर, जिलारायपुर, छ.ग.
- 3 - शहरी प्रशासन तथा विकास विभाग के अवर सचिव मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नया रायपुर, जिलारायपुर, छ.ग.
- 4 - निदेशक शहरी प्रशासन तथा विकास निदेशालय इंद्रावती भवन ब्लॉक-4, अटल नगर, नया रायपुर, जिलारायपुर, छ.ग.
- 5-संयुक्त निदेशक शहरी प्रशासन तथा विकास निदेशालय इंद्रावती भवन ब्लॉक-4, अटल नगर, नया रायपुर, जिलारायपुर, छ.ग.
- 6-संयुक्त निदेशक शहरी प्रशासन तथा विकास कार्यालय, बिलासपुर क्षेत्र, बिलासपुर, छ.ग.
- 7 - मुख्य नगर निगम अधिकारी नगर परिषद खरसिया, जिलारायगढ़, छ.ग.

--उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 5182/2024



ममता चौधरी पति श्री सुरेंद्र चौधरी उम्र लगभग 60 वर्ष वर्तमान, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, के पद पर पदस्थ ,नगर पंचायत, लैलूंगा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य अपने सचिव के द्वारा, शहरी प्रशासन तथा विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - अतिरिक्त सचिव छ.ग. राज्य नगरिया प्रशासन तथा विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3 - निदेशक शहरी प्रशासन तथा विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 4 - कलेक्टर रायगढ़ जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।
- 5 - (हटा दिया गया) संजय दुबे (माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 18-10-2024 के अनुसार)
- 6 - चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव पिता स्वर्गीय श्री चंद्र किशोर श्रीवास्तव , 51 वर्ष , वर्तमान में नगर निगम बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में सामुदायिक समन्वयक के पद पर पदस्थ

--उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 6781/2024

ममता चौधरी पति श्री सुरेंद्र चौधरी उम्र लगभग 60 वर्ष वर्तमान, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, के पद पर पदस्थ ,नगर पंचायत, लैलूंगा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य अपने सचिव के द्वारा, शहरी प्रशासन तथा विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - अपर सचिव, छ.ग. राज्य नगरिया प्रशासन तथा विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3 - निदेशक नगरिया प्रशासन तथा विकास विभाग, बी-ब्लॉक, चौथी मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।



4 – चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, पिता स्वर्गीय श्री चंद्र किशोर श्रीवास्तव, 51 वर्ष, वर्तमान में नगर निगम बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में सामुदायिक समन्वयक के रूप में पदस्थ

-----उत्तरवादीगण

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु :	श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता
उत्तरवादी -राज्य हेतु	श्री अजीत सिंह, शासकिय अधिवक्ता
संबंधित उत्तरवादी हेतु :	श्री एन. नाहा रॉय, श्री अनूप मजूमदार, श्री ऋषभ बिसेन तथा श्री नवोदा सिंह, अधिवक्तागण

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

सी. ए. वी. आदेश

1. सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री अवध त्रिपाठी को सुना गया।राज्य के शासकिय अधिवक्ता श्री अजीत सिंह और संबंधित उत्तरवादीगण के अधिवक्ता श्री एन. नाहा रॉय, श्री अनूप मजूमदार, श्री ऋषभ बिसेन और श्री नवोदा सिंह को भी सुना गया।

2. चूँकि सभी रिट याचिकाएँ एक ही याचिकाकर्ता, ममता चौधरी द्वारा दायर की गई हैं, जिन्होंने दिनांक 27.04.2022 के वसूली आदेश, दिनांक 21.08.2024 के स्थानांतरण आदेश और दिनांक 04.10.2024 के निलंबन आदेश को चुनौती दी है, इसलिए सभी रिट याचिकाओं को एक साथ मिलाकर, एक साथ सुना जाता है और इस सामान्य आदेश द्वारा निराकरण किया जाता है।

3. डब्ल्यू. पी. एस. सं. 1625/2024 में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:---

" 10.1 माननीय न्यायालय मामले के अभिलेखों को अवलोकनार्थ मंगवाने की कृपा करे।

10.2 यह कि, माननीय न्यायालय उत्तरवादी संख्या 5 द्वारा उत्तरवादी संख्या 7 को जारी दिनांक 27.04.2022 के पत्र को रद्द करने या 6,15,751/- रुपये की राशि की वसूली करने की कृपा करे, यह मानते हुए कि यह न्याय के हित में दोहरे खतरे के सिद्धांत के विरुद्ध है।

10.2A यह कि, माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा आदेश की शैली और प्रकृति में भेजे गए दिनांक 22/03/2024 के पत्र (अनुलग्नक P/7-A) को रद्द करने और रद्द करने की कृपा करे, क्योंकि यह न्याय के हित में प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है।



10.3 यह कि, माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता को संबंधित प्रतिवादी के समक्ष एक नया अभ्यावेदन करने की अनुमति दे जिसका निर्णय न्याय के हित में उक्त प्रतिवादी द्वारा एक निश्चित समयावधि में किया जाएगा।

10.4 यह कि माननीय न्यायालय न्याय के हित में कोई अन्य अनुतोष प्रदान करने के लिए कृपा करें जो वह उचित समझे।"

4. डब्ल्यू. पी. एस. सं.5182/2024 में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:---

" 10.1 माननीय न्यायालय कृपया इस याचिका को स्वीकार करे और दिनांक 21/08/2024 (अनुलग्नक पी/1) के आक्षेपित आदेश को रद्द करने कि कृपा करें , जो याचिकाकर्ता और उत्तरवादी संख्या 6 से संबंधित है।

10.2 कि, कोई अन्य अनुतोष जिसे यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे, कृपया याचिका की लागत के साथ न्याय के हित में याचिकाकर्ता को प्रदान की जाए।"

5. डब्ल्यू. पी. एस. सं.6781/2024 में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:---

" 10.1 कि, यह माननीय न्यायालय याचिका को अनुमति देने तथा न्याय के हित में याचिकाकर्ता से संबंधित दिनांकित 04/10/2024 (अनुलग्नक पी/1) के आक्षेपित आदेश को रद्द करने कि कृपा करें ।

10.2 किसी भी अन्य अनुतोष की भी अनुमति दी जा सकती है, जो मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में उचित तथा उपयुक्त लगे।"

6. याचिकाकर्ता ने डब्ल्यूपीएस क्रमांक 1625/2024 के माध्यम से संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, इंद्रावती भवन, ब्लॉक-4, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को जारी पत्र क्रमांक 4881 दिनांक 27.04.2022 को चुनौती दी है, जिसमें उक्त प्राधिकारी को याचिकाकर्ता से रु 6,15,751/- रुपए की राशि मासिक किश्तों के माध्यम से वसूलने का निर्देश दिया गया है, जब तक कि राशि की वसूली न हो जाए।

7. डब्ल्यूपीएस क्रमांक 1625/2024 के संक्षिप्त तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता नगर पालिका परिषद खरसिया में सहायक ग्रेड-II के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2016 में वे प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खरसिया (संक्षेप में, 'सीएमओ') के पद पर कार्यरत थीं और उक्त क्षमता के दौरान, "स्वच्छ भारत मिशन" योजना के तहत डस्टबिन की खरीद के लिए 10 लाख रुपये की राशि के लिए 19.01.2016 को निविदा आमंत्रित की गई थी। यह निर्देश दिया गया कि यदि नगर परिषद के संबंधित पार्षद भी अपने-अपने वार्डों के लिए डस्टबिन खरीदना चाहते हैं, तो वे भी उक्त योजना में भाग ले सकते हैं, जिसके लिए पार्षद को 2 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी, तदनुसार, परिषद अध्यक्ष द्वारा पारित दिनांक 16.09.2016 के प्रस्ताव के आधार पर डस्टबिन की डिलीवरी के लिए "ओम साईं ट्रेडर्स" को 17 लाख रुपये की राशि दी गई थी। उपरोक्त प्रस्ताव के आधार पर, आदेश पारित किए गए और डस्टबिन खरीदे गए और आपूर्तिकर्ता द्वारा विधिवत वितरित किए गए। संबंधित नगर परिषद ने याचिकाकर्ता को परिषद के कोष से डस्टबिन की राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत किया है, इसलिए, दिनांक 28.09.2016 के प्रस्ताव के आधार पर, एक प्रस्ताव पारित किया



गया और संबंधित पार्षद के खाते से आपूर्तिकर्ता को 29.09.2016 को 14,25,751/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया, उसके बाद, याचिकाकर्ता द्वारा 30.09.2016 को 1,90,000/- रुपये की एक और राशि का भुगतान किया गया। उक्त खरीद संबंधित पार्षद के अनुरोध के आधार पर और डस्टबिन की खरीद के प्रस्ताव के आधार पर की गई थी। हालांकि, डस्टबिन की खरीद और संबंधित भुगतान के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बावजूद, लगभग 2 साल बीत जाने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ 28.09.2018 को आरोप-पत्र के साथ एक नोटिस जारी किया गया था, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का सामना करते हुए एक विस्तृत जवाब दायर किया। उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया और दिनांक 17.12.2019 के दंड के तहत, याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 (संक्षेप में, "1973 के नियम") के नियम 31 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका (कार्यपालन/यांत्रिक/स्वास्थ्य) सेवा भारती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2017 (संक्षेप में, "2017 के नियम") का पालन किए बिना, संचयी प्रभाव के बिना वेतन में एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई। नियम 2017 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करते समय अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पालन किए जाने का प्रावधान है, अर्थात् कारण बताओ नोटिस, आरोप-पत्र जारी करना, प्रासंगिक दस्तावेजों की आपूर्ति, संबंधित पक्षों के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग और सुनवाई का उचित अवसर देना नियम 2017 के तहत अनिवार्य था और नियम 2017 के बिना, सजा का आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैध है और इसे अपास्त किया जाने योग्य है। चूंकि दण्ड आदेश दिनांक 17.12.2019 नियम 1973 के अंतर्गत पारित किया गया था, जो लागू नहीं होता है और नियम 2017 का पालन किया जाना आवश्यक है, जो प्रतिवादी प्राधिकारियों की संपूर्ण कार्यवाही को दूषित करता है, दण्ड आदेश स्पष्ट रूप से अवैधानिक है, इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 25.01.2020 को अपील प्रस्तुत की और अपील में, याचिकाकर्ता को नियम 2017 के अनुसार सुनवाई का कुछ अवसर प्रदान किया गया, तथापि, अपील में भी, यद्यपि याचिकाकर्ता को कुछ अवसर प्रदान किया गया, परन्तु सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए पूर्ण जांच नहीं की गई।

8. डब्ल्यूपीएस क्रमांक 5182/2024 के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 5 जिला सहकारी विकास अभिकरण में सामुदायिक संघटक के पद पर कार्यरत है। यद्यपि, किसी तरह वह प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत लैलूंगा के रूप में कार्य करने में सफल रहा और उपरोक्त पदस्थापन अवधि के दौरान, उसने अनियमितताएं की हैं। सम्यक विचारोपरांत उनकी संविदा नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है तथा उन्हें मूल विभाग में मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने का निर्देश दिया गया है, इस प्रकार, प्रत्यर्थी क्रमांक 5 ने उपरोक्त आदेश को चुनौती दी है, किन्तु माननीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी क्रमांक 5 के प्रत्यावर्तन आदेश में कोई अनियमितता नहीं पाई है तथा तत्पश्चात, वर्ष 2022 में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.11.2019 के आदेश को भी चुनौती दी है, किन्तु माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 5 के कार्यभार ग्रहण करने के लिए सामुदायिक समन्वयक का पद उपलब्ध नहीं है तथा पूर्व में प्रत्यर्थी क्रमांक 5 को नगर पंचायत लैलूंगा में पदस्थापना के दौरान की गई अनियमितताओं के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, इस प्रकार, प्रभारी सीएमओ के पद पर उनकी संविदा नियुक्ति को अपास्त किया जाता है। यद्यपि, उन्होंने उपरोक्त आदेश को चुनौती दी है, किन्तु तत्पश्चात दिनांक 10.05.2024 को याचिका को निष्फल मानते हुए खारिज कर दिया गया तथा दिनांक 08.08.2024 को डब्ल्यूपीएस क्रमांक 6106/2014 में



वर्तमान याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक 6 के विरुद्ध जांच करने के निर्देश दिए गए, किन्तु इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता को सामुदायिक समन्वयक के पद से, उक्त आदेश के माध्यम से प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें न केवल प्रभारी सीएमओ, नगर पंचायत लैलूंगा के रूप में पदस्थ करने का आदेश प्राप्त हुआ, अपितु याचिकाकर्ता, जिसका नाम राज्य संवर्ग सूची में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद के लिए पूर्व से ही विचाराधीन है तथा जिन्होंने हाल ही में दिनांक 07.03.2024 के आदेश के परिपालन में प्रभारी सीएमओ, नगर पंचायत लैलूंगा के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, उन्हें उपरोक्त पदस्थापना स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि, उन्होंने मुश्किल से 5 महीने पूरे किए, इस प्रकार, माननीय न्यायालय ने उत्तरवादी संख्या 6 के विरुद्ध जांच शुरू करने की जिम्मेदारी दी और उसके बाद, प्रतिवादी अधिकारियों ने 21.08.2024 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता की सेवाओं को स्थानांतरित कर दिया।

9. डब्ल्यूपीएस संख्या 6781/2024 के तथ्य, संक्षेप में, यह है कि याचिकाकर्ता निलंबन के आदेश को चुनौती दे रहा है जिसके तहत याचिकाकर्ता को उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा निलंबित कर दिया गया है, हालांकि निदेशक याचिकाकर्ता का नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है और साथ ही उत्तरवादी संख्या 3 के पास निलंबन का आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि उपरोक्त आदेश पारित करने से पहले, उत्तरवादी ने निलंबन के पहले के आदेश को ठीक से नहीं देखा है और दिनांक 25.01.2022 के आदेश पर भी गौर नहीं किया है, जिसके द्वारा, उचित जांच के बाद, उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता के केवल दो वार्षिक वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव से रोक दिया है और उपरोक्त आदेश किसी भी प्रकार की वसूली को प्रतिबिंबित नहीं करता है। प्रत्यर्थी क्रमांक 4, जो किसी तरह नगर पंचायत लैलूंगा में याचिकाकर्ता के स्थान पर पदस्थ होना चाहता था और माननीय न्यायालय ने दिनांक 06.09.2024 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी क्रमांक 4 के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई 14.10.2024 निर्धारित की है, लेकिन प्रत्यर्थी क्रमांक 4 ने सी.जी. राज्य नगर पालिका अधिनियम (कार्यपालिक/स्वास्थ्य) नियम, 2017 की धारा 33 के प्रासंगिक प्रावधान के विपरीत और सी.जी. नगर परिषद कर्मचारी (नियुक्ति और सेवा शर्तें), नियम, 1968 की धारा 53 को ठीक से देखे बिना ही विवादित आदेश पारित कर दिया, हालांकि आदेश से यह स्पष्ट है कि किसी भी विभागीय जांच पर विचार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का यह पक्ष है कि इस तथ्य के तहत कि दिनांक 25.01.2022 के आदेश से कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि विभागीय जांच में किसी प्रकार की वसूली का निर्देश दिया गया है तथा वर्ष 2024 में याचिकाकर्ता के वेतन से पहली बार 25,000/- रुपये की वसूली शुरू की गई है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती भी दी गई थी। इस तथ्य के बावजूद कि उत्तरवादी संख्या 4 नगर निगम का कर्मचारी है और उसकी सेवाएं नगर पंचायत को हस्तांतरित नहीं की जा सकती हैं, न केवल नगर निगम अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के विपरीत आदेश प्राप्त किया गया और केवल याचिकाकर्ता को परेशान और अपमानित किया गया, जो एक महिला कर्मचारी है और अगले वर्ष सेवानिवृत्त होने वाली है और जो नगर पंचायत में सबसे वरिष्ठ कर्मचारी है और जिसकी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदोन्नति होनी है, बल्कि नगर निगम में संविदा कर्मचारी को याचिकाकर्ता के स्थान पर गलत तरीके से स्थानांतरित कर दिया गया है और जब याचिकाकर्ता को स्थगन आदेश प्राप्त है, तो किसी पुराने आदेश के तहत, जिसमें वसूली का कोई आदेश नहीं है, उसी आदेश का संदर्भ दिया और किसी भी प्रकार की जांच पर विचार किए बिना निलंबन का आक्षेपित आदेश पारित किया।



10. डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 1625/2024 में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दंड आदेश उचित जांच किए बिना और याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप के समय, याचिकाकर्ता को प्रभारी सीएमओ के काम से मुक्त कर दिया गया था और गोपाल दुबे को प्रभारी सीएमओ के रूप में तैनात किया गया था, गोपाल दुबे के कार्यकाल में 6318 डब्बे की आपूर्ति के लिए रु 13,50,323/- रुपये का कार्य आदेश जारी किया गया था, हालांकि, केवल याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया है और अन्य व्यक्ति यानी गोपाल दुबे को दोषी नहीं ठहराया गया है। यह तर्क दिया गया है कि 2017 के नियमों के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और इसके अलावा, याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया था। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश अपने आप में अवैध और विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण है। आगे यह तर्क दिया गया है कि एक आरोप के लिए दो दंड लगाए जा रहे हैं, अर्थात्,

- (i) संचयी प्रभाव के बिना एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना और
- (ii) याचिकाकर्ता के वेतन से मासिक किश्तों के माध्यम से राशि की वसूली, जो सेवा नियमों के अनुसार, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए, 27.04.2022 को जारी 6,15,751/- रुपये की वसूली के आदेश को रद्द किया जाना आवश्यक है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा डब्ल्यू. पी. एस. क्रमांक 5182/2024 में प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने लगभग 5 माह से अपना कर्तव्य नहीं निभाया है तथा वह संबंधित विभाग में वरिष्ठतम कर्मचारी है तथा प्रतिवादी क्रमांक 6 जिसकी सेवा उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दी गई है तथा उसे प्रभारी सीएमओ नगर पंचायत लैलूंगा के पद पर पदस्थ होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पूर्व में प्रतिवादी क्रमांक 6 द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण प्रभारी सीएमओ नगर पंचायत लैलूंगा के पद पर उसकी संविदा नियुक्ति निरस्त की जा चुकी है। यह तर्क दिया गया है कि जब प्रतिवादी क्रमांक 6 सामुदायिक समन्वयक था, उसने मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में अपनी पदस्थापना प्रस्तुत की थी, तब उसने स्वयं यह प्रस्ताव पारित किया था कि उसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी का वेतन दिया जाएगा, जबकि वह वास्तव में सामुदायिक समन्वयक के वेतन का ही हकदार है, लेकिन वह उपरोक्त विभाग में अपने संपूर्ण कार्यकाल के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद का वेतन प्राप्त करता रहा है। आगे तर्क दिया गया कि आहरण एवं संवितरण की शक्ति मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास है और जहां तक उत्तरवादी क्रमांक 6 का प्रश्न है, वह राजपत्रित अधिकारी नहीं है, इसलिए उसे प्रभारी सीएमओ नगर पंचायत के पद पर पदस्थ नहीं किया जा सकता, जो सेवा नियमों के विरुद्ध है।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने डब्ल्यू. पी. एस. क्रमांक 6781/2024 में प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश मुख्यतः दिनांक 25.01.2022 के एक पूर्व आदेश के आधार पर पारित किया गया है, जो वर्ष 2016-17 में डस्टबिन की अधिक खरीद से संबंधित है, जिसके लिए उसे पहले निलंबित किया जा चुका है और दिनांक 25.01.2022 की विभागीय जांच में, याचिकाकर्ता की दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से वृहद दंड के आधार पर रोक दी गई है, इस प्रकार, याचिकाकर्ता का निलंबन सी.जी. नगर पालिका परिषद (कार्यपालिक/स्वास्थ्य) नियम 2017 के साथ-साथ सी.जी. राज्य नगरपालिका कर्मचारी (नियुक्ति और सेवा शर्त) नियम, 1968 के साथ-साथ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण नियम 1966 के नियम 9(1)(ए) के तहत



विधि की दृष्टि में मान्य योग्य नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि निलंबन आदेश पारित करने से पहले विभागीय जाँच से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया और याचिकाकर्ता को निलंबन आदेश मिलने पर बहुत आश्चर्य हुआ, जबकि उसने आवेदन दायर किया था और कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए समय माँगा था। यह भी तर्क दिया गया है कि जहाँ तक निदेशक का संबंध है, वह याचिकाकर्ता का नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है, इसलिए यह आदेश बिना किसी अधिकार क्षेत्र के पारित किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि निलंबन आदेश दोहरा संकट है क्योंकि इससे पहले याचिकाकर्ता को पहले ही निलंबित और दंडित किया जा चुका है।

13. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान शासकिय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश सही तरीके से पारित किया गया है और उक्त आदेश पारित करने में कोई अवैधता या विकृति नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को अवैध तरीके से डस्टबिन की खरीद में शामिल पाया गया था। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2016 में प्रभारी सीएमओ का प्रभार दिया गया था, जो उक्त क्षमता में रही हैं, उन्होंने डस्टबिन की खरीद में अनियमितता की है, इसलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता को डस्टबिन की खरीद में अनियमितता करने का दोषी पाया गया है, इसलिए दंड आदेश पारित किया गया और साथ ही वसूली आदेश भी जारी किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता ने धन का दुरुपयोग किया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा आक्षेपित आदेश सही ढंग से पारित किए गए हैं, जिनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि बाद में, अपील में, जब याचिकाकर्ता ने मांग की कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, तो याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया और इस प्रकार, इस आशय का आरोप भी याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है और कोई दोहरा खतरा नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 2016 में निविदा के उल्लंघन के समय, 1973 के नियम लागू थे, इस प्रकार, उक्त नियमों के आधार पर विभागीय जांच की गई थी, तथापि, अपीलीय चरण में, जब इसकी मांग की गई थी, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देते समय उचित प्रक्रिया अपनाई गई है, इस प्रकार, रिट याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं।

14. संबंधित उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों का विरोध किया और विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदनों को स्वीकार किया और संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताएं न केवल हैं, बल्कि कई अवसरों पर जब भी वह नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में तैनात थीं और उनके खिलाफ वित्तीय गबन के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके कारण कलेक्टर रायगढ़ ने याचिकाकर्ता पर तीन बार भ्रष्टाचार और वित्तीय गबन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रही है और उसने राजस्व अधिकारियों से अतिक्रमित भूमि का पट्टा मांगा है और याचिकाकर्ता का आचरण सरकारी कर्मचारी के लिए अनुचित है और सेवा नियमों के तहत एक गंभीर कदाचार है। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने सरकारी पट्टे का लाभ उठाने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, जो सेवा नियमों के तहत उचित नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि यद्यपि रिट याचिका में उत्तरवादी संख्या 6 की पात्रता पर कहीं भी प्रश्न नहीं उठाया गया है, परन्तु यह तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी



संख्या 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और मुख्य नगरपालिका अधिकारी का पद धारण करने का हकदार नहीं है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा विवादित आदेश सही ढंग से पारित किए गए थे, जिनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

15. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, उनके प्रतिद्वन्द्वी तर्कों पर विचार किया तथा रिट याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

16. डब्ल्यूपीएस संख्या 1625/2024 में, दिनांक 15.01.2025 को अंतरिम आदेश पारित किया गया, जो इस प्रकार है: ---

" याचिकाकर्ता हेतु श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता। राज्य हेतु श्री यशवंत सिंह ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता तथा श्री प्रतीक तिवारी, पैनल अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विभागीय जाँच में उसे संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड देते हुए दंडित किया गया था और उसके बाद आक्षेपित आदेश द्वारा 6,15,751/- रुपये की वसूली का आदेश पारित किया गया है और वर्तमान में उसके वेतन से 25,000/- रुपये प्रति माह की कटौती की जा रही है, जिसके कारण उसे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपना उत्तर दाखिल कर दिया है। हालाँकि, चूँकि याचिकाकर्ता ने संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया है और उसे अनुमति दे दी गई है, इसलिए वे इस मामले में एक अतिरिक्त उत्तर दाखिल करना चाहते हैं। उपरोक्त पहलू को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादियों को अतिरिक्त उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। अगली सुनवाई की दिनांक तक, पूर्णतः एक अंतरिम उपाय के रूप में, दिनांक 27.04.2022 के आक्षेपित आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाई जाती है। याचिकाकर्ता को 27.04.2022 के आदेश को चुनौती देने वाली इस याचिका को दायर करने में हुई विलंब के बारे में 10 दिनों की अवधि के भीतर हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। इस मामले को अप्रैल, 2025 के महीने में सूचीबद्ध करें।"

17. डब्ल्यूपीएस सं. 5182/2024 में, 06.09.2024 पर, निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गया था: ---

"याचिकाकर्ता हेतु विद्वान अधिवक्ता "श्री अवध त्रिपाठी, राज्य/उत्तरवादी संख्या 1 से 4 हेतु श्री एस. पी. काले, अतिरिक्त महाधिवक्ता। उत्तरवादी संख्या 6 हेतु विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप मजूमदार सुना गया है। उत्तरवादीगण को नोटिस जारी करें। श्री काले और श्री मजूमदार अपने-अपने उत्तरवादीगण की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। उत्तरवादी संख्या 5 के संबंध में केवल सामान्य माध्यम से और पंजीकृत डाक द्वारा दो सप्ताह के भीतर भविष्य निधि का भुगतान किया जाए, जो 3 सप्ताह में वापस किया जा सके। स्थगन हेतु आवेदन, आई.ए. संख्या 1 पर भी सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस रिट याचिका में चुनौती उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा पारित दिनांक 21.08.2024 के आक्षेपित स्थानांतरण आदेश को है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता, जो कार्यवाहक मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत लैलूंगा के पद पर कार्यरत है, को नगर पंचायत खरसिया में उसके मूल पद (सहायक ग्रेड II) पर प्रत्यावर्तित किया गया है। आक्षेपित आदेश द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 6, जो नगर निगम, बिलासपुर में सामुदायिक समन्वयक के पद पर कार्यरत है, को नगर पंचायत लैलूंगा में स्थानांतरित किया गया है।



उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिनांक 07.03.2024 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को कार्यवाहक मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत लैलूंगा के पद पर पदस्थ किया गया था, जो दिलीप कुमार उरांव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य के मामले में डब्ल्यूपीएस क्रमांक 6833/2021 में पारित इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.01.2022 के विपरीत है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता विभाग में सबसे वरिष्ठ कर्मचारी है और उत्तरवादी क्रमांक 6 को याचिकाकर्ता के स्थान पर पदस्थ नहीं किया जा सकता क्योंकि नगर पंचायत लैलूंगा में प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनकी पूर्व संविदा नियुक्ति उत्तरवादी क्रमांक 6 द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण अपास्त कर दिया गया है। यहाँ तक कि सामुदायिक समन्वयक के पद पर उनका नियमितीकरण भी रद्द कर दिया गया है। यद्यपि, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के मद्देनजर, वे सामुदायिक समन्वयक के पद पर अपनी सेवाओं में बने रहे और उत्तरवादी क्रमांक 6 के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए, उनका कहना है कि याचिकाकर्ता को अंतरिम आदेश दिया जाए। इसका विरोध करते हुए, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री काले ने तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को केवल स्थानापन्न क्षमता पर नियुक्त किया जा रहा है जो स्वीकार्य है और उसे उसकी मूल नियुक्ति पर वापस भेज दिया गया है क्योंकि उसके विरुद्ध कुछ अनियमितताएँ पाई गई थीं। याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जाँच की गई थी और वसूली का आदेश पारित किया गया था। उन्होंने तर्क दिया है कि स्थानांतरण सेवा में एक अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिए याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम अनुतोष नहीं दी जा सकती है। राज्य के अधिवक्ता श्री मजूमदार ने द्वारा प्रस्तुत तर्क का समर्थन किया। बहस के दौरान, इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया कि उत्तरवादी संख्या 6 भी शामिल हो गया है। पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया। यद्यपि पक्षकारों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं, फिर भी इस याचिका में मुख्य विवादक यह है कि क्या कोई अंतरिम अनुतोष दी जा सकती है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, क्या याचिकाकर्ता के स्थान पर उत्तरवादी संख्या 6 का स्थानांतरण विधि के अनुसार है। इस न्यायालय ने दिलीप कुमार उरांव (सुप्रा) के मामले में कंडिका 15 में निम्नलिखित टिप्पणी की:---

15. इस प्रकार, राज्य सरकार को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है कि वह नगर निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी को 1961 के अधिनियम के तहत किसी भी नगर पालिका या नगर पंचायत में स्थानांतरित करने की ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। 1956 के अधिनियम या नगर पालिका अधिनियम, 1961 में राज्य सरकार को किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नगर निगम से नगर परिषद या नगर पंचायत में स्थानांतरित करने का अधिकार देने वाले किसी भी सक्षम प्रावधान के अभाव में, याचिकाकर्ता को नगर निगम, रायगढ़ से नगर पंचायत, चंद्रपुर में स्थानांतरित करने का विवादित आदेश रद्द किए जाने योग्य है।" इस न्यायालय के संज्ञान में यह नहीं लाया गया है कि उत्तरवादी संख्या 6 नगर निगम का कर्मचारी नहीं है, लेकिन अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवादी संख्या 6 को नगर पंचायत लैलूंगा में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इस रिट याचिका में शामिल मुद्दा दिलीप कुमार उरांव (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा शामिल किया गया है। इस न्यायालय ने 29.08.2024 को राज्य के वकील को मामले में विवाद के संबंध में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि सूची के लंबित रहने के दौरान, उत्तरवादी संख्या 6 को आरोपित स्थानांतरण आदेश के अनुपालन में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और उचित विचार-विमर्श के बाद, यह न्यायालय इस राय पर है



कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता द्वारा अंतरिम अनुतोष का मामला बनता है। अतः, याचिकाकर्ता के संबंध में आक्षेपित आदेश के प्रभाव और प्रवर्तन पर अगली सुनवाई की दिनांक तक रोक लगाई जाती है। इस मामले को 14 अक्टूबर, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करें। इस बीच, तर्क पूरी कर लिया गया।"

18. डब्ल्यूपीएस सं.6781/2024 में, 22.10.2024 पर, अंतरिम आदेश निम्नलिखित प्रभाव से पारित किया गया था:---

" याचिकाकर्ता हेतु श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता।राज्य हेतु-उत्तरवादी संख्या 1 से 3 : सुश्री शैलजा शुक्ला, उप शासकीय -अधिवक्ता।उत्तरवादी संख्या 4 हेतु श्री एन. नाहा रॉय, अधिवक्ता निर्देशों पर उपस्थित होते हैं। आई. ए. सं 1 पर सुनवाई हुई, जो अंतरिम अनुतोष देने हेतु एक आवेदन है। याचिकाकर्ता ने दिनांक 04.10.2024 के निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता को निलंबन आदेश (अनुलग्नक पी-1) केवल वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात् नगर पंचायत लैलूंगा से हटाने के लिए जारी किया गया है। याचिकाकर्ता पहले खरसिया में पदस्थ थी। उसका स्थानांतरण दिनांक 07.03.2024 को लैलूंगा में कर दिया गया और छह महीने से भी कम समय के भीतर, याचिकाकर्ता को दिनांक 21.08.2024 के आदेश द्वारा पुनः लैलूंगा से खरसिया स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ता लगभग 60 वर्ष की महिला है और उसने अपने स्थानांतरण के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के स्थानांतरण का आदेश केवल रिट याचिका में निजी उत्तरवादी को समायोजित करने के लिए है। न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करते हुए उठाए गए आधारों पर विचार किया और याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाते हुए दिनांक 06.9.2024 को डब्ल्यूपीएस संख्या 5182/2024 में उसके पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया। पारित अंतरिम आदेश को निजी उत्तरवादी ने रिट अपील संख्या 640/2024 के माध्यम से चुनौती दी। लंबित रिट याचिका पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की टिप्पणी करते हुए रिट अपील का निपटारा कर दिया गया था। रिट अपील के निराकरण की तिथि पर, अपीलकर्ता के पक्ष में कोई आदेश न होने पर, उत्तरवादीगण ने उसी तिथि अर्थात् 04.10.2024 को आदेश अनुलग्नक पी-1 जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया और उसका मुख्यालय लैलूंगा से संयुक्त संचालक, नगर प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आदेश की विषयवस्तु से ऐसा प्रतीत होता है कि निलंबन का आदेश केवल याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने के लिए पारित किया गया है, यदि स्थानांतरण के माध्यम से नहीं बल्कि निलंबन के आदेश के माध्यम से। पंचू राम ठाकुर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य के मामले में डब्ल्यू. पी. (एस) संख्या 2062/2016 में 21.06.2021 को लिए गए निर्णय का उल्लेख देते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि किसी कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, भले ही निलंबन के माध्यम से हो, स्थानांतरण माना जाएगा, इसलिए बिना किसी विशिष्ट कारण बताए मुख्यालय में परिवर्तन मान्य योग्य नहीं है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण का कड़ा विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता के पास नियम, 1966 के अंतर्गत अपील का वैकल्पिक उपाय मौजूद है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को निलंबित करने के लिए विशिष्ट आधार प्रस्तुत किए गए हैं क्योंकि इसमें



स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने कदाचार किया है और इसलिए, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उत्तरवादी को नोटिस जारी किया गया। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने उत्तरवादी संख्या 1 से 3 की ओर से नोटिस स्वीकार किया और श्री एन. नाहा रॉय निर्देश पर उपस्थित हुए और कहा कि वह उत्तरवादी संख्या 4 की ओर से नोटिस स्वीकार किया गया। अतः, नोटिस जारी करने के लिए प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों अधिवक्ता जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगते हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण, उसमें किया गया तर्क, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विशुद्ध रूप से अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 04.10.2024 (अनुलग्नक पी-1) का आक्षेपित आदेश, जहाँ तक वह याचिकाकर्ता के मुख्यालय के परिवर्तन से संबंधित है, सुनवाई की अगले दिनांक तक स्थगित कर दिया जायेगा। इस मामले को 18.11.2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करें।"

19. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि कथित घटना के समय याचिकाकर्ता प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी थीं, यद्यपि उन्होंने क्रय आदेश जारी किए थे, तथापि, उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद विभागीय जांच की गई। 1973 के नियमों के तहत, व्यापक विस्तृत जांच करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और इसलिए, यह जांच नहीं की गई। हालांकि, जब याचिकाकर्ता ने अपील में इसकी मांग की, तो याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था, इसलिए, जहां तक सुनवाई के अवसर का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रदान किया गया है।

20. जहां तक 2017 के नियमों की प्रयोज्यता का संबंध है, विभागीय जांच करते समय, 2017 के नियमों के नियम 28 के तहत दंड निर्धारित है। 2017 के नियमों का नियम 28 आसान संदर्भ हेतु इस प्रकार है:---

"28. शास्तियाँ - निम्नलिखित शास्तियाँ समुचित तथा पर्याप्त कारणों से सेवा के सदस्यों पर आरोपित की जा सकेंगी अर्थातः-(एक) निंदा (दो) वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोकना (तीन) आदेश के भांग या उपेक्षा के कारन परिषद् को हुई किसी वित्तीय हानि की पूर्ण या आंशिक रूप में वेलन से वसूली (चार) निचले पद या समयमान अधवा समयमान में निचले स्थान में पदावनति (पांच) भविष्य में नियोजन के लिए अपात्रता के कारण सेवा से हटाना व्याख्या- निम्नलिखित इस नियम के अर्थ के अंतर्गत (एक) निम्नलिखित की सेवाओं का समापन 24 25 25 (क) परिवीक्षा पर नियुक्त शासकीय सेवक की उसकी नियुक्ति की शर्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियम और आदेश के अनुसार उसके परिवीक्षा की कालावधि की सम्पत्ति के दौरान या समाप्ति पर: अथवा (ख) नियुक्त अस्थायी शासकीय सेवक की आगामी आदेश तक, इस आधार पर की उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गई है. अथवा (ग) शासकीय सेवक की जो अनुबंध के अनुसार नियोजित हो ऐसे अनुबंध शर्तों के अनुसार। (दो) परिवीक्षाधीन की सेवा से सेवामुक्ति का उसकी परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसके अंत में विशिष्ट दोष के लिए या सेवा हेतु उसकी अनुपयुक्तता के आधार पर इस नियम के अंतर्गत हटाए जाने के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा। (तीन) शासकीय सेवक को उसके वेतन के समयमान में दक्षतावरोध पर अवरोध को पार करने की उसकी अयोग्यता के आधार पर रोके जाना। (चार) सेवा के सदस्य की वापसी जो की उच्चतर पद में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो मूल पद पर इस कारण



से जैसे की नियमित पदधारी का प्रशिक्षण या प्रतिनियुक्ति से वापसी या अधिक उपयुक्त व्यक्ति की उपलब्धता का पदावनति के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा। नियम 28 की व्याख्या यह नियम इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 21 में की गई किसी घोषणा या राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के प्रतिकूल कार्य करने के लिए उसे दण्डित किए जाने वाली शास्ति का उल्लेख करती है। इस नियम के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) जिसमें परिनिन्दा किया जाना वेतन वृद्धि या पदोन्नति का रोका जाना या फिर परिषद् को हुई किसी क्षति की वसूली किया जाना सम्मिलित को सामान्य भाषा में लघु शास्ति कहा जाता है जबकि खंड (चार) एवं (पाँच) में दर्शित शास्ति को दीर्घ शास्ति कहा जाता है। टिप्पणी-(1) उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक न्यायालयीन प्रकरण में आदेशित किया है कि शासकीय सेवक को अधिरोपित दण्ड उसके द्वारा किए गए कदाचरण के अनुकूल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, **The Penalty imposed on a civil servant should not be disproportional to the misconduct committed by him.** (2) मात्रा असंचयी प्रभाव से रोकी गयी वेतन वृद्धियां ही तगुशास्ति है, अन्यथा यह मुख्य शास्ति होगी। (3) मुख्य शास्ति इस नियमों में स्थापित एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया अपना कर ही अधिरोपित कि जावेगी, जोकि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों के अनुसार होगी। (4) लघु शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व शासकीय सेवक को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावेगा।"

21. वर्तमान मामले में, चूंकि याचिकाकर्ता पर लगाया गया दंड दीर्घ दंड है, इसलिए दीर्घ दंड लगाने से पहले, याचिकाकर्ता का पक्ष सुना जाना आवश्यक है। उपर्युक्त नियमों के अनुसार, एक पूर्ण जाँच की जानी आवश्यक है, जिसमें कारण बताओ नोटिस, आरोप-पत्र, साक्षियों की परीक्षण, सुनवाई का उचित अवसर जैसी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना आवश्यक है। यदि कोई दंड लगाया जाना है, तो उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अनुसार लगाया जाना चाहिए। किसी भी अपराधी कर्मचारी को कोई भी सजा देते समय, पहली तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए, जिसका वर्तमान मामले में पालन नहीं किया गया है।

22. जहां तक याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि न केवल याचिकाकर्ता, बल्कि एक अन्य प्रभारी सीएमओ गोपाल दुबे भी कुछ सरकारी कार्य करते हैं, ऐसे में अकेले याचिकाकर्ता को धन की अत्यधिक अनियमितता के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया होता, तो याचिकाकर्ता द्वारा इन आरोपों का उत्तर दिया जा सकता था, तथापि, चूंकि याचिकाकर्ता को यह अवसर नहीं दिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता उचित बचाव करते हुए आरोपों का विरोध नहीं कर सकता है।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह माना है कि किसी भी बड़े दंड के मामले में, अपराधी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना आवश्यक है, जो वर्तमान मामले में नहीं दिया गया प्रतीत होता है। तदनुसार, संपूर्ण विभागीय जाँच निष्फल है।

24. वर्तमान प्रकृति के मामले में भारत के संविधान (जिसे आगे 'संविधान' कहा जाएगा) के अनुच्छेद 226 के तहत जाँच और हस्तक्षेप का दायरा अब पूर्ण नहीं है। आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एस श्री राम राव, एआईआर 1963 एससी 1723 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :---



“7. ... संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में उच्च न्यायालय किसी लोक सेवक के खिलाफ विभागीय जांच करने वाले अधिकारियों के निर्णय पर अपील न्यायालय के रूप में गठित नहीं होता है:-

इसका संबंध यह निर्धारित करने से है कि क्या जांच उस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा और उस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है, और क्या प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। जहां कुछ साक्ष्य हैं, जिन्हें जांच करने का कर्तव्य सौंपे गए प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया है और जो साक्ष्य इस निष्कर्ष का उचित रूप से समर्थन कर सकते हैं कि अपराधी अधिकारी आरोप का दोषी है, अनुच्छेद 226 के तहत रिट के लिए याचिका में साक्ष्य की समीक्षा करना और साक्ष्य पर एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचना उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है। उच्च न्यायालय निस्संदेह हस्तक्षेप कर सकता है, जहां विभागीय प्राधिकारियों ने अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के नियमों के साथ असंगत तरीके से की हो या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन किया हो या जहां प्राधिकारियों ने साक्ष्य और मामले के गुण-दोष से इतर कुछ विचारों के कारण या अप्रासंगिक विचारों से स्वयं को प्रभावित होने देकर निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने में स्वयं को असमर्थ बना लिया हो या जहां निष्कर्ष पूरी तरह से मनमाना और मनमानीपूर्ण हो कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति उस निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुंच सकता हो, या इसी प्रकार के आधार पर। परंतु यदि जांच अन्यथा उचित ढंग से की जाती है तो विभागीय प्राधिकारी तथ्यों के एकमात्र निर्णायक होते हैं और यदि कोई विधिक साक्ष्य हो जिस पर उनके निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं तो उस साक्ष्य की पर्याप्तता या विश्वसनीयता ऐसा मामला नहीं है जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट की कार्यवाही में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।” (जोर दिया गया)“

25. उपरोक्त बात को **भारतीय स्टेट बैंक बनाम राम लाल भास्कर, (2011) 10 एससीसी 249** मामले में **समान शक्ति वाली पीठ द्वारा दोहराया गया था।** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों ने **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम चित्रा वेंकट राव, (1975) 2 एससीसी 557** मामले में निम्नलिखित कहा:---

“21. विभागीय पूछताछ से निपटने में अनुच्छेद 226 का दायरा इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया है। इस न्यायालय द्वारा **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एस. श्री राम राव [एआईआर 1963 एससी 1723:(1964) 3 एससीआर 25:(1964) 2 एलएलजे 150]** में दो प्रस्ताव रखे गए थे। प्रथमतः, इस मत का कोई आधार नहीं है कि किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध आरोपित कदाचार के लिए दोषी होने पर विचार करते समय, आपराधिक मुकदमों में अपनाए जाने वाले इस नियम को लागू किया जाना चाहिए कि कोई अपराध तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक कि न्यायालय के संतोषप्रद उचित संदेह से परे साक्ष्य द्वारा सिद्ध न हो जाए। यदि किसी घरेलू जाँच न्यायाधिकरण द्वारा उस नियम को लागू नहीं किया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी याचिका में उच्च न्यायालय विभागीय जाँच को अमान्य ठहराने वाले प्राधिकारियों के आदेश को अमान्य घोषित करने के लिए सक्षम नहीं है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी लोक सेवक के विरुद्ध विभागीय जाँच करने वाले प्राधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध अपील न्यायालय नहीं है। न्यायालय का कार्य यह निर्धारित करना है कि क्या जाँच उस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा और उस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है, और क्या प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। दूसरा, जहाँ कोई ऐसा साक्ष्य हो जिसे जाँच करने का दायित्व सौंपे गए प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया हो और



जो साक्ष्य इस निष्कर्ष का यथोचित समर्थन करता हो कि दोषी अधिकारी आरोप का दोषी है, वहाँ साक्ष्य की पुनर्विलोकन करना और साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचना उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है। उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, जहाँ विभागीय प्राधिकारियों ने अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के नियमों के साथ असंगत तरीके से की हो या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन किया हो या जहाँ प्राधिकारियों ने साक्ष्य और मामले के गुण-दोष से इतर कुछ विचारों के कारण या अप्रासंगिक विचारों से स्वयं को प्रभावित होने देकर निष्पक्ष निर्णय पर पहुँचने में स्वयं को असमर्थ बना लिया हो या जहाँ निष्कर्ष पूरी तरह से मनमाना और मनमानीपूर्ण हो कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति उस निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुँच सकता था। यदि जांच अन्यथा उचित ढंग से की जाती है, तो विभागीय प्राधिकारी तथ्यों के एकमात्र निर्णायक होते हैं और यदि कोई कानूनी साक्ष्य मौजूद है जिस पर उनके निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं, तो उस साक्ष्य की पर्याप्तता या विश्वसनीयता ऐसा मामला नहीं है जिसे अनुच्छेद 226 के तहत रिट की कार्यवाही में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।

xxxxxx

23. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उत्प्रेषण रिट जारी करने का अधिकार पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय इसका प्रयोग अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं करता है। साक्ष्य के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप किसी विचारण न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों को रिट कार्यवाही में पुनः खोला या प्रश्नगत नहीं किया जाता है। अभिलेख पर स्पष्ट दिखाई देने वाली विधि की त्रुटि को रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि को नहीं, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न प्रतीत हो। किसी न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, रिट जारी की जा सकती है यदि यह दर्शाया जाता है कि उक्त निष्कर्ष दर्ज करते समय, न्यायाधिकरण ने स्वीकार्य और महत्वपूर्ण साक्ष्य को स्वीकार करने से गलती से इनकार कर दिया था, या अस्वीकार्य साक्ष्य को गलती से स्वीकार कर लिया था जिसने आक्षेपित निष्कर्ष को प्रभावित किया है। पुनः, यदि तथ्य का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, तो उसे विधि की त्रुटि माना जाएगा, जिसे उत्प्रेषण रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है। न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सुसंगत तथा भौतिक साक्ष्य निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त या अपर्याप्त हैं। किसी बिंदु पर प्रस्तुत साक्ष्य की पर्याप्तता और उक्त निष्कर्ष से निकाले जाने वाले तथ्य का निष्कर्ष न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। देखें सैयद याकूब बनाम के.एस. राधाकृष्णन [एआईआर 1964 एससी 477: (1964) 5 एससीआर 64]।

24. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन किया और अपने निष्कर्ष पर पहुँचा। उच्च न्यायालय का ऐसा करना उचित नहीं था। इस पहलू के अलावा कि उच्च न्यायालय इस आधार पर तथ्य के निष्कर्ष को सही नहीं ठहराता कि साक्ष्य पर्याप्त या अपर्याप्त नहीं हैं, वर्तमान मामले में न्यायाधिकरण द्वारा विचार किए गए साक्ष्य को उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए परखा नहीं जा सकता कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो अधिकरण के इस निष्कर्ष को सही ठहराए कि उत्तरवादी ने यात्रा नहीं की थी। अधिकरण ने अपने निष्कर्षों के लिए कारण बताए। उच्च न्यायालय के लिए यह कहना संभव नहीं है कि



कोई भी विवेकशील व्यक्ति इन निष्कर्षों पर नहीं पहुँच सकता था। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की समीक्षा की, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया और फिर साक्ष्य को साक्ष्यहीन मानकर खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ठीक यही नहीं करना चाहिए।

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

26. इन कारणों से हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्यों की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन करके बर्खास्तगी आदेश को अपास्त करना गलत था। अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है। पक्षकारों अपनी लागत का भुगतान स्वयं करेंगे और उसे वहन करेंगे। ' (जोर दिया गया) "

26. भारतीय स्टेट बैंक बनाम एस.के. शर्मा, (1996) 3 एससीसी 364 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया :---

"28. ऊपर उद्धृत निर्णयों से एक बात स्पष्ट होती है, अर्थात्, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को किसी निश्चित सूत्र में नहीं बांधा जा सकता है। जैसा कि 1949 में रसेल बनाम ड्यूक ऑफ नॉरफॉक [(1949) 1 ऑल ईआर 109:65 टीएलआर 225] में कहा गया था, इन सिद्धांतों को एक निश्चित दायरे में नहीं बांधा जा सकता है। उनकी प्रयोज्यता प्रत्येक मामले के संदर्भ, तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। (देखें--- मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त [(1978) 1 एससीसी 405:(1978) 2 एस. सी. आर 272])। इसका उद्देश्य उस व्यक्ति के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई, एक निष्पक्ष सौदा सुनिश्चित करना है, जिसके अधिकार प्रभावित होने वाले हैं। (देखें --ए. के. रॉय बनाम भारत संघ [(1982) 1 एस. सी. सी. 271:1982 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 152] तथा स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम भारत संघ [(1981) 1 एस. सी. सी. 664])। जैसा कि इस न्यायालय ने ए.के. क्राइपक बनाम भारत संघ [(1969) 2 एससीसी 262] में बताया है, अर्ध-न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य (किसी पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले) के बीच की विभाजन रेखा काफी पतली और लगभग अप्रभेद्य हो गई है - एक तथ्य जिस पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस यूनियंस बनाम मिनिस्टर फॉर द सिविल सर्विस [(1984) 3 ऑल ईआर 935 :(1984) 3 डब्ल्यूएलआर 1174 : 1985 एससी 374, एचएल] में भी जोर दिया है, जहां प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों को समानार्थी माना गया था। जो भी मामला हो, निष्पक्ष सुनवाई के दृष्टिकोण से - पूर्वाग्रह के परीक्षण को लागू करते हुए, जैसा कि इसे कहा जा सकता है - ऑडी अल्टरम पार्टम के नियम के उल्लंघन की किसी भी और हर शिकायत की जांच की जानी चाहिए। वास्तव में, ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ पूर्व सूचना/सुनवाई की आवश्यकता का पालन करने से कार्यवाही ही विफल हो सकती है - जिसके परिणामस्वरूप जनहित को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है।

इसी कारण से, कुछ मामलों में, जैसे लिबर्टी ऑयल मिल्स बनाम भारत संघ [(1984) 3 एससीसी 465], प्राकृतिक न्याय के पर्याप्त अनुपालन के रूप में निर्णयोत्तर सुनवाई का नियम विकसित किया गया था। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहाँ जनहित या राज्य की सुरक्षा के हित या अन्य समान कारणों से ऑडी अल्टरम पार्टम के नियम का पूरी तरह से पालन करना [जैसा कि अनुच्छेद 311(2) के प्रावधान के खंड (बी) और



(सी) द्वारा परिकल्पित स्थितियों के मामले में] या उस सामग्री का खुलासा करना अनुचित हो सकता है जिस पर कोई विशेष कार्यवाही की जा रही है। वास्तव में ऐसी कई अलग-अलग स्थितियाँ हो सकती हैं जिनका पूर्वानुमान लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हमारी सम्मानजनक राय में, अनुशासनात्मक आदेशों और पूछताछ के संबंध में निर्णीत मामलों से उभरने वाले सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में कहा जा सकता है: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, ऑडी अल्टरम पार्टम, के उल्लंघन और उक्त सिद्धांत के एक पहलू के उल्लंघन के बीच अंतर किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, "कोई नोटिस नहीं" / "कोई सुनवाई नहीं" और "कोई पर्याप्त सुनवाई नहीं" या दूसरे शब्दों में कहें तो, "कोई अवसर नहीं" और "कोई पर्याप्त अवसर नहीं" के बीच अंतर है। उदाहरण के लिए – एक ऐसा मामला लें जहाँ व्यक्ति को बिना उसकी पूरी सुनवाई किए ही सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है (जैसा कि रिज बनाम बाल्डविन [1964 एसी 40: (1963) 2 ऑल ईआर 66: (1963) 2 डब्ल्यूएलआर 935])। यह पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाला मामला होगा और बर्खास्तगी का आदेश अमान्य होगा – या शून्य होगा, यदि कोई उस अभिव्यक्ति का उपयोग करना चुनता है (कैल्विन बनाम कैर [1980 एसी 574: (1979) 2 ऑल ईआर 440: (1979) 2 डब्ल्यूएलआर 755, पीसी]) परंतु जहां व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है, मान लीजिए, उसे जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति दिए बिना (प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल बनाम बी करुणाकर [(1993) 4 एससीसी 727:1993 एससीसी (एल एंड एस) 1184: (1993) 25 एटीसी 704]) या उसे साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने का उचित अवसर दिए बिना (के.एल. त्रिपाठी [(1984) 1 एससीसी 43:1984 एससीसी (एल एंड एस) 62]) यह बाद की श्रेणी में आने वाला मामला होगा – प्राकृतिक न्याय के उक्त नियम के एक पहलू का उल्लंघन – जिस स्थिति में, आदेश की वैधता को पूर्वाग्रह की कसौटी पर परखा जाना चाहिए, यानी, कुल मिलाकर, संबंधित व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई मिली या नहीं। उपरोक्त निर्णयों के आलोक में यह कहना सही नहीं होगा कि प्राकृतिक न्याय के किसी पहलू या ऐसे पहलू को शामिल करने वाले नियम के किसी भी और हर उल्लंघन के लिए, पारित आदेश पूरी तरह से शून्य है और इसे आगे की जांच के बिना अपास्त कर दिया जाना चाहिए। हमारी राय में, बी. करुणाकर [(1993) 4 एससीसी 727:1993 एससीसी (एल एंड एस) 1184: (1993) 25 एटीसी 704] में अपनाए गए दृष्टिकोण और परीक्षण को उन सभी मामलों पर लागू किया जाना चाहिए जहां परिवाद यह नहीं है कि कोई सुनवाई नहीं हुई (कोई नोटिस नहीं, कोई अवसर नहीं और कोई सुनवाई नहीं) बल्कि उचित सुनवाई नहीं होने (यानी, पर्याप्त या पूर्ण सुनवाई) या जांच को नियंत्रित करने वाले प्रक्रियात्मक नियम या आवश्यकता के उल्लंघन की है; परिवाद की पूर्वोक्त पूर्वाग्रह की कसौटी पर जांच की जानी चाहिए।"

27. भारत संघ बनाम के जी सोनी, (2006) 6 एससीसी 794 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में अपनी राय व्यक्त की थी:---

"14. इन समस्त निर्णयों में आम बात यह है कि न्यायालय को प्रशासक के फैसले में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह अतार्किक न हो या प्रक्रियात्मक अनुचितता से ग्रस्त न हो या न्यायालय की अंतरात्मा के लिए चौंकाने वाला न हो, इस अर्थ में कि यह तर्क या नैतिक मानकों की अवहेलना थी। वेडनसबरी मामले [एसोसिएटेड प्रोविशियल पिक्चर हाउसेज लिमिटेड बनाम वेडनसबरी कॉर्पोरेशन, (1948) 1 केबी 223: (1947) 2 ऑल ईआर 680 (सीए)] में जो कहा गया है, उसे देखते हुए, न्यायालय प्रशासक



द्वारा किए गए निर्णय की सत्यता पर विचार नहीं करेगा, और न्यायालय को प्रशासक के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय नहीं देना चाहिए। न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी तक सीमित है, निर्णय तक नहीं।

15. दूसरे शब्दों में, जब तक अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लगाया गया दंड न्यायालय/न्यायाधिकरण की अंतरात्मा को झकझोर न दे, तब तक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अतिरिक्त, मुकदमों की अवधि कम करने के लिए, असाधारण और दुर्लभ मामलों में, इसके समर्थन में ठोस कारण दर्ज करके उचित दंड लगाया जा सकता है। सामान्यतः, यदि लगाया गया दंड अत्यधिक अनुपातहीन है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को लगाए गए दंड पर पुनर्विचार करने का निर्देश देना उचित होगा। (जोर दिया गया)।

28. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनमोहन नाथ सिन्हा, (2009) 8 एससीसी 310 के मामले में दो विद्वान न्यायाधीशों ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए विधिक स्थिति को पुनः स्थापित किया: ---

"15. विधि स्थिति यह है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निर्णय के विरुद्ध नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया तक ही सीमित है। न्यायालय निर्णय के गुण-दोष पर निर्णय नहीं देता है। उच्च न्यायालय को जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन करने तथा अपील न्यायालय के रूप में जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की जाँच करने और अपने निष्कर्ष पर पहुँचने का अधिकार नहीं है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों की जाँच करते समय गंभीर गलती की, मानो वह अपील न्यायालय हो। इस मामले पर विचार करते समय उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है और हमारे विचार से, इस मामले पर उच्च न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार नए सिरे से विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस संक्षिप्त आधार पर, हम मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजते हैं। -"

29. अजीत कुमार नाग बनाम महाप्रबंधक (पीजे), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया एवं अन्य, (2005) 7 एससीसी 764 के मामले में इसी तरह के विवाद्यक पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है ---

"44. हम इस सामान्य नियम से अवगत हैं कि किसी व्यक्ति की निष्पक्ष विचारण और निष्पक्ष अपील होनी चाहिए और उससे अनुचित विचारण और निष्पक्ष अपील से संतुष्ट होने के लिए नहीं कहा जा सकता है। हम इस सामान्य सिद्धांत से भी अवगत हैं कि निर्णय-पूर्व सुनवाई बेहतर होती है और इसे हमेशा निर्णय-पश्चात सुनवाई से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि यह कहा गया है कि मनुष्यों के नियमों के अलावा, ईश्वर के नियम भी ऑडी अल्टरम पार्टम के नियम का पालन करते हैं। यह कहा गया है कि मानव इतिहास में पहली सुनवाई अदन की वाटिका में हुई थी। ईश्वर ने आदम और हव्वा को यह कारण बताने का अवसर दिए बिना कि उन्होंने निषिद्ध फल क्यों खाया था, उन्हें सजा नहीं सुनाई। [देखें : आर. बनाम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, (1723) 1 धारा 557]। परंतु हम यह भी जानते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कठोर या अपरिवर्तनीय नहीं हैं और इसलिए उन्हें एक ही दायरे में नहीं बांधा जा सकता है। उन्हें परिस्थितियों के अनुसार ढलना और बदलना होगा। उन्हें अपनी सीमाओं में ही सीमित रहना चाहिए और उन्हें बेलगाम नहीं होने देना चाहिए।



यह कहा गया है; "आखिरकार, कोई बड़ा काम करने के लिए, कभी-कभी थोड़ा गलत करना भी जायज़ है।" [मुखर्जी मुख्य न्यायाधीश, के अनुसार, चरण लाल साहू बनाम भारत संघ, (भोपाल गैस आपदा); (1990) 1 एससीसी 613] कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करते समय, न्यायालय जीवन की कठोर वास्तविकताओं से अनभिज्ञ नहीं रह सकता है। हमारी राय में, ऐसे मामलों से निराकरण में न्यायालय का दृष्टिकोण पांडित्यपूर्ण के बजाय व्यावहारिक, सिद्धांतवादी के बजाय यथार्थवादी, औपचारिक के बजाय कार्यात्मक और 'पूर्वानुमानित' के बजाय व्यावहारिक होना चाहिए।"

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के प्रकाश में तीनों मामलों के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को वर्तमान पदस्थापना स्थान अर्थात् नगर पंचायत लैलुंगा से हटाने के लिए ही निलंबन आदेश जारी किया गया है। याचिकाकर्ता पहले खरसिया में पदस्थ थी। दिनांक 07.03.2024 को उसका स्थानांतरण लैलुंगा में कर दिया गया और छह महीने से भी कम समय के भीतर, दिनांक 21.08.2024 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता का पुनः लैलुंगा से खरसिया स्थानांतरण कर दिया गया था। यह भी प्रतिबिम्बित किया गया है कि याचिकाकर्ता, जो लगभग 60 वर्ष की महिला है, ने अपने स्थानांतरण के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के स्थानांतरण का आदेश केवल निजी प्रतिवादी को समायोजित करने के लिए है और न्यायालय ने उठाए गए आधारों पर विचार करते हुए, उसके पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसके तहत डब्ल्यूपीएस संख्या 5182/2024 में दिनांक 06.09.2024 का आदेश, डब्ल्यूपीएस संख्या 6781/2024 में दिनांक 22.10.2024 का आदेश और डब्ल्यूपीएस संख्या 1625/2024 में दिनांक 15.01.2025 का आदेश पारित किया गया; जिसके तहत क्रमशः याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश दिनांक 21.08.2024, निलंबन आदेश दिनांक 04.10.2024 और वसूली आदेश दिनांक 27.04.2022 के प्रभावी और संचालन पर रोक लगा दी गई है।

31. अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि पारित अंतरिम आदेश को निजी उत्तरवादी द्वारा रिट अपील संख्या 640/2024 के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिसका निराकरण करते हुए यह टिप्पणी की गई कि लंबित रिट याचिका पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। रिट अपील के निराकरण की तिथि पर अपीलार्थी के पक्ष में कोई आदेश न होने पर, प्रतिवादियों ने उसी तिथि अर्थात् 04.10.2024 को याचिकाकर्ता को निलंबित करने तथा उसका मुख्यालय लैलुंगा से संयुक्त संचालक, नगर प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर के कार्यालय में स्थानांतरित करने का आदेश जारी कर दिया तथा आदेश की विषय-वस्तु से ऐसा प्रतीत होता है कि निलंबन आदेश केवल याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने के लिए पारित किया गया है, यदि स्थानांतरण के माध्यम से नहीं बल्कि निलंबन आदेश के माध्यम से।

32. उपरोक्त चर्चाओं के परिणामस्वरूप, यह परिलक्षित हुआ है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 21.08.2024 के आदेश द्वारा गलत तरीके से स्थानांतरित किया गया है तथा उत्तरवादी क्रमांक 6 (डब्ल्यूपीएस क्रमांक 5182/2024 में) जो नगर निगम, बिलासपुर में सामुदायिक समन्वयक के रूप में कार्यरत है, को नगर पंचायत लैलुंगा में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीएस क्रमांक 6833/2021 में दिनांक 14.01.2022 के आदेश द्वारा पारित निर्णय के विपरीत है।



यह भी परिलक्षित हुआ है कि दिनांक 04.10.2024 का निलंबन आदेश केवल याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने के लिए पारित किया गया है, यदि स्थानांतरण के माध्यम से नहीं, बल्कि निलंबन आदेश के माध्यम से।

33. मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि वसूली का आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है, इसलिए, दिनांक 27.04.2022 का आरोपित वसूली आदेश निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, दिनांक 21.08.2024 का स्थानांतरण आदेश और दिनांक 04.10.2024 का निलंबन आदेश निरस्त किया जाता है।

34. परिणामस्वरूप, तीनों रिट याचिकाएँ, डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 1625/2024, डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 5182/2024 और डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 6781/2024, ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती हैं। इस पर कोई वाद व्यय देय का आदेश नहीं दिया जाता है।

सही/-
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक



प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और
कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

